परिषदादेश संख्या–8530 /रा0प0/2014

प्रेषक,

सदस्य (न्यायिक)/
आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद्,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

दिनांक : 06 मार्च 2014

विषय :— राजस्व न्यायालय में पीठासीन अधिकारियों द्वारा पारित निर्णयों के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रायः यह देखने में आ रहा है कि राजस्व न्यायालयों में पीठासीन अधिकारियों द्वारा न्यायिक आदेश पारित करते समय मात्र पदनाम का उल्लेख किया जा रहा है,जबकि यह अनिवार्य है कि पीठासीन अधिकारी अपने निर्णयादेशों में अपने नाम का उल्लेख करें। भविष्य में राजस्व न्यायालयों के निर्णयादेशों में पीठासीन अधिकारी अपने पदनाम के साथ अपना नाम भी अंकित करना सुनिश्चित करें।

कृपया इस परिषदादेश की प्रति राजस्व सम्बन्धी न्यायिक कार्य करने वाले सभी पीठासीन अधिकारियों को कठोर अनुपालन हेतु प्रसारित करें।

भवदीय,

(पी0एस0जंगपांगी)
आयुक्त एवं सचिव।

प्रतिलिपि आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाँऊ मण्डल, नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(पी0एस0जंगपांगी)
आयुक्त एवं सचिव।